

# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir (P)/JDA/GEN/11

दिनांक :-

—: कार्यालय आदेश :-

उप शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(81)नविवि/3/2007, दिनांक 16.06.2011 द्वारा एशियन विकास बैंक प्रोजेक्ट के तहत पावटा 'सी' सड़क निर्माण के समय 80 फीट मार्गाधिकार का ही मुआवजा दिये जाने के दृष्टिकोण से जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.03.2011 के प्रस्ताव संख्या 14 के निर्णय "प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय से जोधपुर-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क की चौड़ाई 100 फीट के स्थान पर पर 80 फीट रखे जाने" को एतद द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय से जोधपुर-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग तक पावटा 'सी' सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट के स्थान पर भविष्य में 80 फीट माना जावेगा।

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir (P)/JDA/GEN/11 /245

दिनांक :- 31/11/12

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. उप शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प. 3(81)नविवि/3/2007, दिनांक 16.06.2011 के क्रम में सूचनार्थ।
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर।
5. निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
7. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
9. निदेशक (वित्त), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. उपायुक्त (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
11. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
12. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर।
14. कम्प्यूटर शाखा
15. रक्षित पत्रावली

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर।